

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:- एफ.4(ई)/ 1992 प्रथम चवे /अलेसे-III/ 1890-95 दिनांक:- 7/5/2014

कार्यालय आदेश

श्री प्रमोद कुमार, (576/94) कनिष्ठ लेखाकार को विभागीय आदेश क्रमांक एफ 4(ई) (प्रथम एसीपी/94)/ अलेसे-III/ 8405-8408 दिनांक 12.08.2013 द्वारा कनिष्ठ लेखाकार के पद पर प्रथम नियुक्ति तिथि 11.04.1996 से दिनांक 01.06.2002 के पश्चात् तीसरी संतान दिनांक 26.03.2005 को होने के फलस्वरूप इन्हें 09 वर्ष की सेवा पूर्ण करने की तिथि 11.04.2005 के स्थान पर 05 वर्ष पश्चात् दिनांक 11.04.2010 से कनिष्ठ लेखाकार के पद की प्रथम आश्वासित कैरियर प्रगति स्वीकृत की गई थी।

वित्त विभाग के मेमोरेण्डम क्रमांक प.14(88)वित्त/ नियम/ 2008-I एवं II दिनांक 31.12. 2009 के नियम बिन्दु संख्या 8(III) के अनुसार दिनांक 01.06.2002 को या इसके पश्चात् संतान की संख्या 02 से अधिक होने पर एसीपी देय नहीं हैं। इस संबंध में वित्त (राजस्व) विभाग के पत्रांक प.2(39)वित्त/ राजस्व/2010 दिनांक 12.02.2014 जयपुर से प्राप्त मार्गदर्शन के क्रम में निदेशालय के आदेश एफ 4(ई) (प्रथम एसीपी/94)/ अलेसे-III/ 8405-8408 दिनांक 12.08.2013 द्वारा श्री प्रमोद कुमार, कनिष्ठ लेखाकार को स्वीकृत प्रथम एसीपी एतद् द्वारा निरस्त की जाती हैं।


(वीरबाला जोशी)
निदेशक

क्रमांक:- एफ.4(ई)/1992 प्रथम चवे/ अलेसे-III/ 1890-95 दिनांक:- 7/5/2014
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

1. कोषाधिकारी, उदयपुर।
2. श्री प्रमोद कुमार, कनिष्ठ लेखाकार, कार्यालय कोषाधिकारी, उदयपुर।
3. निजी सहायक, निदेशक महोदया।
4. उपनिदेशक(एसीपी) विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
5. निजी/गार्ड फाईल।


(डॉ० अरविन्द कुमार मिश्रा)
अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक-II)